इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018—पौष 29, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2018

क्र. 2755-17-छ:.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-7-2-2012-छ:, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छ:, दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्द्वारा, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. नियम 2 की उद्देशिका में से निम्नानुसार शब्दावली विलोपित की जाती है.

"उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित"
"में से किसी एक स्थान"
उक्त शब्दावलियां के विलोपन पश्चात् संशोधित पुनरीक्षित उद्देशिका का निम्नानुसार स्वरूप की है.

उद्देशिका.—''इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है.''

2. नियम 3 की परिभाषा में निम्नानुसार उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:—

3 (ञ) ''विधायक'' से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित वर्तमान विधान-सभा सदस्य.

3 (ट) ''वर्तमान के तीर्थ स्थानों के साथ-साथ समीप के तीर्थों'' से तात्पर्य है, परिशिष्ट-(एक) में वर्णित तीर्थ स्थानों की सूची के निकटवर्ती आने वाले तीर्थ स्थल, जो सूची संलग्न परिशिष्ट-(दो) में दी गई है.

3. नियम 4 (2) में 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, के पश्चात् निम्नानुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है:—

''(महिलाओं के सन्दर्भ में 02 वर्ष की छूट होगी)''

4. नियम 4 (4) में ''इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो'' शब्दावली विलोपित कर निम्नलिखित शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है:—

''तीर्थ यात्रा के लिए ऐसे व्यक्ति पुनः पात्र होंगे, जिनको इस योजना के अन्तर्गत यात्रा किये हुए 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गयी हो.''.

5. नियम 4 (5) के पश्चात् निम्नानुसार नवीन उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''4 (6) कोई विधायक भी यदि श्रद्धालुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे तो उन्हें भी यात्रा में जाने की सुविधा प्रदान की जावेगी. परन्तु विधायक के संबंध में उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी.''

6. नियम 10 में परिशिष्ट-(एक) के पश्चात् निम्नानुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है:—

''एवं परिशिष्ट-(दो)''

7. परिशिष्ट-(दो) निम्नानुसार प्रस्थिापित की जाती है:—

1.	रामेश्वरम्	—	मदुरई
2.	तिरूपति	—	श्रीकालहस्ती
3.	द्वारका	—	सोमनाथ
4.	पुरी	—	गंगासागर
5.	हरिद्वार	—	ऋषिकेश
6.	अमृतसर	—	वैष्णोदेवी
7.	काशी	—	गया

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-7-2-2012-छः, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.